न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 121/2024 निर्णय दिनांक 28.05.2025
ऑनलाईन जीसीएमएस नंबर 2024/256

रामदास पुत्र नरसदास जाति स्वामी निवासी बरजांगसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर, राजस्थान। —वादी—

बनाम

स्टैट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीडूंगरगढ़ तहसील कार्यालय, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर। —प्रतिवादी—

उपस्थितिः—

1. श्री मदनगोपाल स्वामी अभिभाषक वादी
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए एवं 136 एलआर एक्ट

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ग्राम बरजांगसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर का स्थायी निवासी है। वादी की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 478 क्षैत्रफल 13.6600 हैक्टेयर रोही ग्राम बींझासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है। वादगत खेत के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम उमदास पुत्र नरसीदास दर्ज चला आ रहा है जबकि वादी के सभी सरकारी एवं अर्द्धसरकारी दस्तावेजों यथा राशनकार्ड, बैंक खाता, पैनकार्ड, आधारकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आदि में वादी का नाम रामदास पुत्र नरसदास अंकित है। वादी का अन्य खातेदारी खेत खसरा नम्बर 75 क्षैत्रफल 7.3700 हैक्टेयर रोही ग्राम धनेरू तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित हैं जिसमें वादी का नाम रामदास पुत्र नरसदास अंकित चला आ रहा है। वादी को उमदास व रामदास दोनो नामो से जाना पहचाना व पुकारा जाता हैं इसलिए वादगत खेत के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम उमदास पुत्र नरसीदास अंकित हो गया जिसे वादी शुद्ध करवा कर उमदास पुत्र नरसीदास की जगह रामदास पुत्र नरसदास राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है। वादी ने वादगत खेत के राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार नाम दुरूस्त करने हेतू प्रतिवादी के कार्यालय में उपस्थित होकर प्रतिवादी से वादगत खेत के राजस्व रिकार्ड में शुद्धी करने का निवेदन किया। तब प्रतिवादी ने दिनांक 14.06.24 को वादी को वादगत खेत के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दुरूस्त करने से इन्कार कर दिया और कहा कि सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना वह रिकार्ड दुरूस्त नही कर सकते। वादगत खेत का खातेदार होने से वादी को वादा धार प्राप्त हैं तथा प्रतिवादी द्वारा की गयी इन्कारी से वादी को प्रतिवादी के विरूद्ध वाद हेतू प्राप्त है। वादी के राजस्व रिकार्ड में व अन्य दस्तावेजों में अलग अलग नाम पता होने के कारण वादी को अपने खातेदारी खेत में सुधार कार्य करवाने, के.सी.सी. आदि लेने व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत हो रही है। वादी वादगत खेत के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम उमदास पुत्र नरसीदास की जगह " रामदास पुत्र नरसदास " की घोषणा करवा कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करवाना चाहता है जिसका कि वादी कानूनन अधिकारी है। प्रतिवादी द्वारा राजस्व रिकार्ड का संधारण किया जाता है एवं भुस्वामी होने के कारण प्रतिवादी के विरूद्ध दावा प्रस्तुत किया गया है। स्टैट के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। परन्तू वादीनी का दावा अर्जेन्ट नेचर का होने से दावा धारा 80(2) सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नोटिस की अनिवार्यता से छूट प्राप्त कर प्रस्तुत किया जा रहा है। वादगत खेत रोही ग्राम बींझासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित होने से दावा श्रीमान् जी के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार में है। दा[illegible] अन्दर मियाद प्रस्तुत है। एवं दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादी क[illegible] निम्न प्रकार से डिक्रि फरमाया जावें।

(क) कि घोषित किया जावें कि वादग[illegible] क्षैत्रफल 13.66 हैक्टेयर रोही ग्राम बींझासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी का नाम उमदास पुत्र नरसीदास की जगह रामदास पुत्र नरसदास रा[illegible] रिकार्ड में दर्ज किया[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.06.20 11:46:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

(ख) यह कि प्रतिवादी को आदेशित किया जावें कि वह खेत खसरा नम्बर 478 क्षैत्रफल 13.6600 हैक्टेयर रोही ग्राम वींझासर तहसील श्रीडूंगरगढ के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम उमदास पुत्र नरसीदास की जगह रामदास पुत्र नरसदास अंकित कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करें।

(ग) यह कि अन्य कोई अनुतोष जो हितकर वादी हो या दौराने दावा हितकर वादी हो जायें वह भी आज्ञाप्त फरमावें।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने जवाबदावा पेश किया गया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को वादी वाद स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 478 क्षैत्रफल 13.6600 हैक्टेयर रोही ग्राम वींझासर तहसील श्रीडूंगरगढ के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम उमदास पुत्र नरसीदास के स्थान पर शुद्ध नाम रामदास पुत्र नरसदास घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.06.20 11:46:31 IST
Reason: SelfAttested

प्राथमिक डिक्री
मुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूँगरगढ जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल

उनवान

रामदास पुत्र नरसदास जाति स्वामी निवासी बरजांगसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर, राजस्थान।

बनाम

स्टैट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीडूंगरगढ़ तहसील कार्यालय, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

दावा बाबत घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती
मुकदमा नम्बर 121 / 2024
निर्णय दिनांक:28.05.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूब्रू अदालत बहाजरी वादी की ओर से अधिवक्ता मदनगोपाल स्वामी एवं प्रतिवादी की ओर से पैरोकाराराज मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 478 क्षैत्रफल 13.6600 हैक्टेयर रोही ग्राम बींझासर तहसील श्रीडूंगरगढ के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम उमदास पुत्र नरसीदास के स्थान पर शुद्ध नाम रामदास पुत्र नरसदास घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

लीज....0.....मुबलिग.....0.....बाबत.....0.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....0. फीसदी सालाना आज को जारी.....तारीख वसूलयाबी.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 28 माह 05 सन् 2025 को जारी किया गया ।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4.साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.06.20 11:46:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूँगरगढ